भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2736

गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन</u>

2736. श्री उत्तम कुमार रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इसके घटक ए, बी और सी के तहत कितने पंप स्थापित किए गए हैं और विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएम-कुसुम योजना में संशोधन का औचित्य क्या है और कृषि फीडरों के सौरीकरण के परिणाम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सीपीएसयू और अन्य कंपनियों द्वारा आरंभ किए गए कृषि फीडरों से संबंधित विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता कितनी है;

(ङ) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) सहित सीपीएसयू और अन्य कंपनियों को प्रदत्त या उनके द्वारा ली गई विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता का लक्ष्य क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों की कितनी क्षमता का वर्तमान में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त उपकरणों की स्थापना की गति को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अगले दो वर्षों के लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): चालू किए गए विकेन्द्रीकृत सौर संयंत्रों तथा सौरीकृत कृषि पंपों सहित पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) से (च): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, आरंभ में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान 2 मेगावाट तक ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना संबंधी घटक-क तथा मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण संबंधी घटक-ग का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर किया गया था। मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर किए गए कार्यान्वयन का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया है। इसके बाद, मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए एक नए वैरिएंट के रूप में फीडर स्तर के सौरीकरण (एफएलएस) को शामिल करने हेतु योजना में संशोधन किया है। दिसम्बर, 2020 में एफएलएस के दिशानिर्देश जारी किए गए और उसके बाद एफएलएस के लिए राज्यों को क्षमताओं का आवंटन किया गया। पीएम-कुसुम योजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है और सीपीएसयू को सीधे ही किसी क्षमता आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों से प्राप्त मांगों के आधार पर, एफएलएस के अंतर्गत कुल 9.25 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंप स्वीकृत किए गए हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य-वार स्वीकृत मात्रा अनुलग्नक में दी गई है।

अनेक बैंकों ने पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में सहायता के लिए ऋण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(छ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें अन्य के साथ-साथ किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, योजना की नियमित निगरानी करना, कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों के लिए स्पष्टीकरण एवं संशोधन जारी करना तथा सभी तीनों घटकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत लाना शामिल है।

अनुलग्नक

'पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.03.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2736 के भाग (क) और (ख) तथा (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम योजना के तहत संचयी स्वीकृति तथा प्रगति (28.02.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (एफएलएस)	संस्थापित
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	50000	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	50	0	0	0	0
3	असम	50	0	1000	0	500	0	0
4	छत्तीसगढ़	30	0	20000	0	0	0	0
5	दिल्ली	62	0	0	0	550	0	0
6	गुजरात	500	0	3424	459	7000	500	0
7	गोवा	50	0	200	0	11000	0	0
8	हरियाणा	65	0	37000	25534	0	32927	0
9	हिमाचल प्रदेश	20	10	950	180	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	0	5000	103	0	0	0
11	झारखंड	50	0	11000	6717	500	10000	0
12	कर्नाटक	500	0	10500	314	0	250000	0
13	केरल	40	0	100	0	100	2000	0
14	लद्दाख	0	0	600	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	300	0	57000	7234	20000	175000	0
16	महाराष्ट्र	500	0	100000	1484	0	250000	0
17	मणिपुर	0	0	150	28	0	0	0
18	मेघालय	5	0	200	35	0	10000	0
19	नागालैंड	0	0	50	0	0	0	0
20	ओडिशा	500	0	5700	741	0	0	0
21	पुडुचेरी	7	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	220	0	12000	6192	0	25000	0
23	राजस्थान	1200	10	65000	24937	12500	25000	1026*
24	तमिलनाडु	75	0	6100	1187	20000	0	0
25	तेलंगाना	500	0	0	0	0	65000	0
26	त्रिपुरा	5	0	3100	421	2600	0	0
27	उत्तर प्रदेश	225	0	20000	6842	0	30000	0
28	उत्तराखंड	0	0	338	0	200	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	700	0	0
	कुल	**4909**	**20**	**359462**	**82408**	**75650**	**925427**	**1026**

*घटक-ग के तहत स्थापित अलग-अलग पंपों का सौरीकरण

*****